भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1868

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

उद्यम विकास और आजीविका संवर्धन

1868. **श्री भोजराज नागः**
श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री अनन्त नायकः
श्री विजय बघेलः
श्री राधेश्याम राठियाः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्रीमती मालविका देवीः
श्री नव चरण माझीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री पी. पी. चौधरीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में कारीगरों, पारंपरिक शिल्पकारों, महिलाओं, युवाओं, स्व-सहायता समूहों, जनजातीय हस्तशिल्प और उद्यमियों की आजीविका, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र-केंद्रित पहलों सहित कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीएस), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) तथा अन्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) योजनाओं के तहत उपलब्धियों, कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा स्वीकृत राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आयोजित/कार्यान्वित कौशल उन्नयन, उद्यमिता प्रशिक्षण, डिजाइन हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में आजीविका सृजन के लिए उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता, ऋण सहायता, राजसहायता और बाजार-संपर्क सुविधाओं का वर्ष, योजना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा लाभार्थियों के डिजिटल भुगतानों, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग/एकीकरण, ब्रांडिंग, जीईएम पंजीकरण, यूपीआई-सक्षम लेन-देन और स्थानीय उत्पादों के ऑनलाइन विपणन सहित डिजिटल सक्षमता के लिए उठाए गए उपायों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में वर्ष, योजना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला-वार इस प्रकार की योजनाओं और प्रोत्साहन कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए लाभार्थी कवरेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमएमई) मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की है। यह योजना सशक्तिकरण, आजीविका, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे भारत में कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करती है। इस योजना में 18 व्यवसायों अर्थात बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, धातु ढलाईकार, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर का कारीगर, मोची/फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता, खिलौना बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वालों को शामिल किया गया है।

(ख) : पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधिगत योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत उपलब्धियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्रमश **अनुबंध-I, II और III** में दिया गया है।

(ग) से (च) : पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इस योजना की शुरुआत के बाद से सफलतापूर्वक पंजीकृत कारीगरों, बुनियादी कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋण, वितरित टूलकिट और डिजिटल प्रोत्साहन प्राप्त लाभार्थियों का ब्यौरा **अनुबंध-I में दिया गया है।**

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, डिजिटल इकोसिस्टम के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए किए गए हैं। लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए क्यूआर कोड सृजित करने हेतु डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए), इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम, पेनियरबाय, भारतपे और फोनपे के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। 30,000 से अधिक विश्वकर्मा लाभार्थियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर सफलतापूर्वक शामिल किया गया है, जिससे संस्थागत खरीददारों तक उनकी पहुंच बढ़ गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1868, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योजना के आरंभ (17.09.23) से सफलतापूर्वक पंजीकृत कारीगरों, आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों, संस्वीकृत ऋण, संस्वीकृत राशि, वितरित टूलकिट, डिजिटल प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा:-

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	सफलतापूर्वक पंजीकृत कारीगरों की संख्या	बुनियादी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत ऋणों की संख्या	संस्वीकृत राशि (रुपए में)	वितरित टूलकिट	डिजिटल प्रोत्साहन-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03	1,057	609	141	1,20,68,750	283	314
2	आंध्र प्रदेश	26	2,22,947	1,79,561	59,939	4,85,34,74,089	1,09,140	45,367
3	अरुणाचल प्रदेश	25	7,196	1,868	304	2,77,01,625	94	3,404
4	असम	31	1,18,861	97,917	16,144	1,50,78,02,026	66,991	27,663
5	बिहार	38	1,62,053	1,19,662	27,233	2,31,61,66,551	72,017	48,122
6	चंडीगढ़	01	775	332	86	76,75,000	89	321
7	छत्तीसगढ़	33	1,16,442	82,583	11,947	99,63,46,246	59,380	26,282
8	दिल्ली	08	2,619	1,015	225	1,89,27,500	118	1,021
9	गोवा	02	18,575	12,148	1,386	12,50,18,000	7,422	3,911
10	गुजरात	33	2,14,064	1,86,774	51,307	4,59,61,91,018	1,56,616	46,327
11	हरियाणा	22	41,366	33,421	8,090	75,15,97,577	22,388	16,818
12	हिमाचल प्रदेश	12	19,701	13,188	2,218	20,93,30,241	7,997	5,373
13	जम्मू और कश्मीर	20	1,54,881	1,37,526	14,856	1,37,45,26,849	1,13,325	28,716
14	झारखंड	24	43,737	31,871	7,084	48,85,10,500	22,050	13,312
15	कर्नाटक	31	5,72,108	4,89,388	1,31,453	10,39,11,63,022	3,87,019	1,23,124
16	केरल	14	22,344	13,805	5,905	54,27,66,819	6,950	8,003
17	लद्दाख	02	4,189	2,758	632	6,25,52,000	2,317	776
18	लक्षद्वीप	01	697	459	19	15,30,000	42	94
19	मध्य प्रदेश	52	2,78,022	2,28,493	60,068	5,44,74,35,689	1,56,840	80,632
20	महाराष्ट्र	36	2,83,298	2,17,819	65,624	5,64,92,69,410	1,61,336	88,522
21	मणिपुर	10	18,132	11,869	2,332	21,55,99,314	2,568	5,574
22	मेघालय	12	4,725	922	84	71,15,000	190	941
23	मिजोरम	11	3,397	1,409	103	95,70,000	147	904
24	नागालैंड	15	4,550	2,074	426	4,14,83,409	140	1,715
25	ओडिशा	30	1,06,312	85,948	19,912	1,66,11,83,788	61,296	25,180
26	पुडुचेरी	02	902	270	174	1,66,29,000	63	186
27	पंजाब	23	13,040	8,506	1,923	17,49,71,198	3,499	4,874
28	राजस्थान	33	2,51,982	2,20,617	65,228	5,78,99,17,550	1,76,588	92,253
29	सिक्किम	06	3,407	1,966	489	4,62,60,500	536	897
30	तेलंगाना	33	89,040	67,466	29,630	2,78,75,18,228	40,068	33,076
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	03	918	634	180	1,60,25,000	440	370
32	त्रिपुरा	08	20,273	15,980	4,579	39,57,52,949	7,271	6,342
33	उत्तर प्रदेश	75	1,78,031	1,46,575	18,013	1,56,89,52,768	89,504	48,138
34	उत्तराखंड	13	20,357	12,971	1,538	13,75,97,655	7,871	4,869

**पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा के तहत राज्य निगरानी समिति (एसएमसी) और जिला कार्यान्वयन समिति (डीआईसी) का गठन किया है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत एसएमसी और डीआईसी को अधिसूचित नहीं किया है।*

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1868, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

पीएमईजीपी योजना के तहत पिछले 3 वित्त वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित सृजित रोजगार:

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	2023-24			2024-25			2025-26		
			यूए की संख्या	मार्जिन मनी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार	यूए की संख्या	मार्जिन मनी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार	यूए की संख्या	मार्जिन मनी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार
1	अंडमान और निकोबार	03	135	1.34	1,080	61	0.96	488	56	0.70	448
2	आंध्र प्रदेश	25	5,577	172.00	44,616	3,249	143.74	25,992	6,779	218.82	54,232
3	अरुणाचल प्रदेश	22	169	17.65	1,352	156	8.53	1,248	144	9.75	1,152
4	असम	35	2,417	64.06	19,336	3,170	91.10	25,360	2,418	74.73	19,344
5	बिहार	38	6,837	191.76	54,696	5,035	150.45	40,280	4,609	134.61	36,872
6	चंडीगढ़	01	10	0.22	80	5	0.25	40	4	0.10	32
7	छत्तीसगढ़	33	2,379	76.25	19,032	1,853	65.64	14,824	1,112	42.30	8,896
8	दिल्ली	10	50	3.34	400	26	1.75	208	20	0.89	160
9	गोवा	02	68	3.23	544	39	1.78	312	29	1.22	232
10	गुजरात*	33	3,000	321.25	24,000	1,783	203.64	14,264	1,833	202.25	14,664
11	हरियाणा	22	1,398	73.25	11,184	788	42.78	6,304	1,094	63.26	8,752
12	हिमाचल प्रदेश	12	974	36.48	7,792	796	29.32	6,368	902	33.14	7,216
13	जम्मू और कश्मीर	20	15,065	282.50	120,520	9,863	239.41	78,904	7,837	155.45	62,696
14	झारखंड	24	2,101	51.23	16,808	1,452	36.06	11,616	833	23.25	6,664
15	कर्नाटक	31	4,672	158.62	37,376	2,839	94.67	22,712	3,836	141.55	30,688
16	केरल	14	3,389	78.82	27,112	2,260	58.96	18,080	2,399	57.25	19,192
17	लद्दाख	02	122	5.85	976	135	6.40	1,080	182	8.47	1,456
18	लक्षद्वीप		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	52	5,292	185.21	42,336	2,626	95.62	21,008	1,886	84.29	15,088
20	महाराष्ट्र**	36	2,766	122.05	22,128	1,857	105.02	14,856	2,807	142.38	22,456
21	मणिपुर	16	348	8.11	2,784	608	15.08	4,864	403	10.24	3,224
22	मेघालय	12	280	7.25	2,240	1,114	34.71	8,912	751	25.10	6,008
23	मिजोरम	11	401	17.55	3,208	484	15.90	3,872	343	13.63	2,744
24	नागालैंड	16	517	29.18	4,136	1,262	36.03	10,096	602	13.11	4,816
25	ओडिशा	30	2,975	93.55	23,800	1,867	53.43	14,936	3,033	92.73	24,264
26	पुडुचेरी	04	30	0.97	240	38	1.11	304	23	0.59	184
27	पंजाब	23	1,469	90.88	11,752	970	66.74	7,760	1,357	82.59	10,856
28	राजस्थान	33	1,678	124.06	13,424	916	72.48	7,328	1,655	122.76	13,240
29	सिक्किम	06	132	4.49	1,056	316	11.45	2,528	315	11.31	2,520
30	तमिलनाडु	38	6,814	198.72	54,512	3,949	121.15	31,592	7,216	199.35	57,728
31	तेलंगाना	33	2,503	108.12	20,024	1,850	82.82	14,800	2,663	111.71	21,304
32	त्रिपुरा	08	588	14.44	4,704	730	18.61	5,840	632	16.65	5,056
33	उत्तर प्रदेश	75	11,689	435.29	93,512	5,518	219.09	44,144	7,261	303.60	58,088
34	उत्तराखंड	13	1,354	41.92	10,832	734	24.12	5,872	574	21.55	4,592
35	पश्चिम बंगाल	23	1,919	74.23	15,352	1,359	53.21	10,872	886	38.02	7,088

अनुबंध-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1868, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

स्फूर्ति के तहत वर्ष 2015-16 से दिनांक 30.09.2022 तक अनुमोदित क्लस्टरों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	अनुमोदित क्लस्टरों की संख्या	प्रस्तावित लाभान्वित होने वाले कारीगरों की संख्या	भारत सरकार की सहायता राशि (लाख रुपए में)
1.	अंडमान और निकोबार	1	1	400	249.28
2.	आंध्र प्रदेश	09	16	13498	4500.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	1024	572.59
4.	असम	22	35	18753	7823.09
5.	बिहार	08	10	6176	2954.335
6.	छत्तीसगढ़	04	5	3469	1072.45
7.	गुजरात	11	14	6543	3006.32
8.	हरियाणा	5	5	3429	1573.96
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4	851	759.764
10.	जम्मू और कश्मीर	7	8	3763	2038.63
11.	झारखंड	13	15	8757	4088.56
12.	कर्नाटक	17	29	18952	8106.285
13.	केरल	08	10	8935	1939.64
14.	मध्य प्रदेश	30	45	24905	11631.75
15.	महाराष्ट्र	18	29	16602	6999.77
16.	मणिपुर	12	26	12938	7386.14
17.	मेघालय	6	6	1769	1172.907
18.	मिजोरम	1	1	304	90.7
19.	नागालैंड	5	9	3317	2179.84
20.	ओडिशा	23	70	46902	21031.86
21.	पंजाब	2	2	1708	518.07
22.	राजस्थान	25	34	18209	9233.363
23.	सिक्किम	2	4	872	901.02
24.	तमिलनाडु	17	28	25531	7378.57
25.	तेलंगाना	09	16	9109	3309.6
26.	त्रिपुरा	2	3	1105	607.15
27.	उत्तर प्रदेश	38	59	32440	15990.98
28.	उत्तराखंड	4	5	2607	1306.09
29.	पश्चिम बंगाल	11	21	10551	4882.23

स्फूर्ति दिनांक 30.09.2022 तक कार्यशील थी।